बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

<u>अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग तथा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त आदेश</u>

सं0-01/दि०स०नि०-UDID-01/2019 स.क.- 595 पटना, दिनांक:- 17/12/2020

दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने एवं प्रत्येक दिव्यांगजन को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (Unique Id) जारी करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में समस्त दिव्यांगजनों हेतु UDID परियोजना कार्यान्विन्त है। Unique Id कार्ड राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एकल दस्तावेज के रूप में मान्य है ।

यद्यपि UDID परियोजना का कार्यान्वयन संपूर्ण बिहार में किया जा रहा है परन्तु अभी भी बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है और जिनका हुआ है उनमें से भी अधिकांश को UDID कार्ड निर्गत नहीं हुआ है । ध्यातव्य है कि दिनांक 01-04-2021 से राज्य के सभी दिव्यांगजनों को अनिवार्य रूप से UDID कार्ड ही निर्गत किया जाना है जो Online Mode में ही बनाए जाएँगे ।

अतः उपरोक्त के आलोक में दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं UDID परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्न निदेश दिए जाते हैं -

1. सम्प्रति पूर्व प्रचलित सामान्य off-line प्रक्रिया के तहत जो भी नया / डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत होंगें उस के Online सत्यापन हेतु उसके निर्गत होने के 2 दिनों के अन्दर सम्बंधित अस्पताल / PHC द्वारा उसे सिविल सर्जन कार्यालय में भेजना होगा ।
2. साथ ही off-line प्रक्रिया से निर्गत नया / डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में यह स्पष्ट अंकित रहना चाहिए कि " यह अस्थायी (provisional) प्रमाणक है जिसकी समुष्टि इसके निर्गत होने के एक सप्ताह के उपरांत UDID पोर्टल से कराई जा सकती है। संपुष्ट होने पर ही इस प्रमाणक की मान्यता होगी"।
3. वैसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण-पत्र पूर्व से बना हुआ है, वे संबंधित पंचायत के CSC (Common Service Center), जिलों में स्थापित बुनियाद केंद्र या स्वयं UDID के पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in/ पर अपने आधार कार्ड, फोटो एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र Online दिव्यांगता प्रमाण-पत्र सत्यापन एवं UDID कार्ड निर्गत हेतु आवेदन दे सकते है ।
4. off-line प्रक्रिया के तहत निर्गत सभी नए / पुराने / डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का Online सत्यापन एवं तदनुसार UDID कार्ड एवं Online दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करना सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
5. दिनांक 01-04-2021 से कोई भी नया / डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र Offline निर्गत नहीं किए जाएँगे। उक्त तिथि तक पुराने दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों के भी on-line सत्यापन एवं उन्हें UDID कार्ड निर्गत करनें के लिए अभियान चलाया जाये।

6. UDID कार्ड हेतु सिविल सर्जन कार्यालय दिव्यांग लाभार्थियों के लिए Single Window का कार्य करेंगे एवं इस निमित सहायक निदेशक / प्रभारी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।

प्रधान सचिव
(स्वास्थ्य विभाग)
बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव
(समाज कल्याण विभाग)
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सक्षम को सूचनार्थ एवं निदेश है कि पंचायत स्तर पर सभी दिव्यांगजनों का UDID पोर्टल पर **Registration** करना सुनिश्चित कराये।
2. मिलिट्री हॉस्पीटल, दानापुर, पटना, पहाड़पुर, गया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
6. सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. सभी सिविल सर्जन, बिहारको सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
8. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, **SSUPSW** (सक्षम), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. कार्यपालक निदेशक, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति-सह-राज्य प्रशासक, UDID परियोजना बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

निदेशक 17/12/2020

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय-सह-
राज्य नोडल पदाधिकारी,UDIDपरियोजना,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- सं/01-0दि०स०नि०-UDID-01/2019 595 दिनांक, पटना-17/12/2020

प्रतिलिपि:- सचिव / संयुक्त सचिव / निदेशक,दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारको सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/12/2020